R 5040-II/16

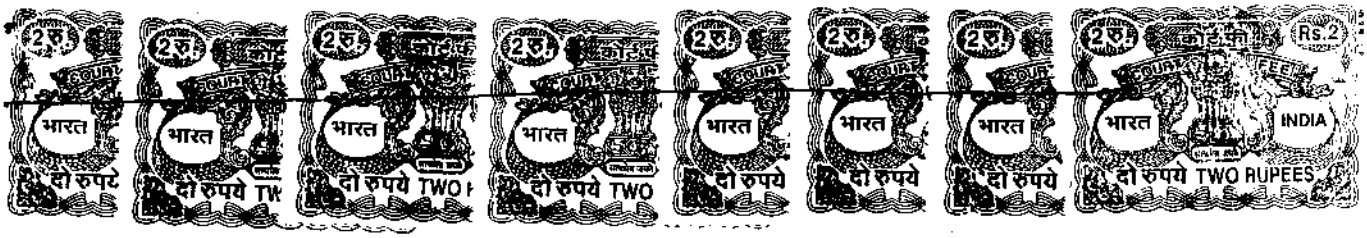

Rs. 20/-

1. प्रेमवती पत्नी स्व. जगदीश पटेल, निवासी ग्राम अगडाल, पेशा खेती, व नौकरी तहसील मनगवां जिला रीवा म. प्र.
2. श्रीमती संगीता देवी पत्नी बुद्धसेन पटेल, पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम पटेहरा तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र.
3. शषि पटेल पत्नी यज्ञलाल पटेल पुत्री स्व. तहसील चुरहट, जिला सीधी म. प्र.
4. निशा पटेल पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम अगडाल तहसील मनगंवा जिला रीवा म. प्र. ............................................ **आवेदकगण**

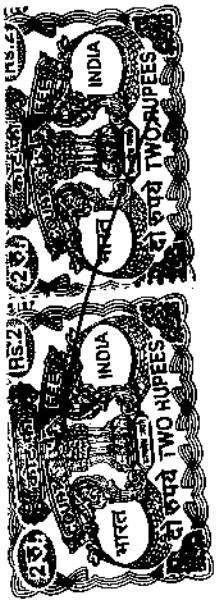

**बनाम्**

श्री शिवदास प्रसाद वकील एड. द्वारा आज दिनांक 27-1-16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
कमिश्नर कोर्ट रीवा

1. सुग्रीव प्रसाद तनय बरमदीन पटेल
2. रामकुमार पटेल तनय सुग्रीव प्रसाद पटेल
3. अरूण कुमार पटेल तनय सुग्रीव प्रसाद पटेल
4. रामभजन पटेल तनय स्व. रामकुमार पटेल
5. आसुतोष पटेल तनय स्व. रामकुमार पटेल
6. श्याम चरण पटेल तनय स्व. रामकुमार पटेल
7. रामसागर पटेल तनय स्व. रामकुमार पटेल

सभी निवासी ग्राम अगडाल तहसील मनगंवा जिला रीवा म. प्र. .........
.................................................................................... **अनावेदकगण**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री के. पी. पाण्डे अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवा दिनांक 20.11.2015 जरिए अपील प्रकरण 20.11.2015 जरिए अपील प्रकरण क्र. 33अ 27/2012–13, पुनरीक्षण

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5040–दो/2016 जिला–रीवा

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28–07–16 | आवेदक अधिवक्ता श्री शिवदास वर्मा उपस्थित । उनके द्वारा अनुविभागिय अधिकारी, मनगंवा जिला–रीवा के प्र0 क्र0 33/अ–27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20.11.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ प्रकरण में आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्को में वताया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित खाता विभाजन के प्रकरण की पैरवी आनवेदक कमांक 1 द्वारा की जा रही थी । आनवेदक कमांक 1 स्वतः उपस्थित होकर अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी कर रहा था । जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर चाहा था। पेशी दिनांक 23.12.11 नियत थी अनावेदक नियत दिनांक 23.12.11 को अंतिम अवसर के बावजूद कोई जवाव प्रस्तुत नहीं कर सका। जवाब का अवसर समाप्त करते हुये, आगामी पेशी दिनांक 29.12.2011 नियत की, तथा आदेश पारित नहीं किया गया । अनावेदक का जवाव संलग्न किया गया तथा दिनांक 31.12.11 को आदेश पारित किया गया । अनावेदक द्वारा 11 माह तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई जो समय बाधित थी। फिर भी अपील अन्दर म्याद मानकर धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर महान भूल की है। | |

3/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा संलग्न आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया । इसके विश्लेषण के बाद मैं मनगंवा द्वारा जो धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रृटि नहीं की है। इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

4/ प्रकरण ग्राहय योग्य नही होने अग्राहय किया जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य